supplied generally through the public distribution system in the country. Controlled cloth is also being distributed on a selective basis through the retail outlets of cooperatives. Some State Governments have arranged for distribution of additional commodities, such as pulses, spices, tea, coffee; salt, exercise books, toilet soap, etc. through the public distribution system.

(c) The public distribution system is kept under constant review in consultation with the State Government and various Union Ministries concerned with the supply of essential commodities.

The State Governments have been asked to strengthen the infra-structure of the public distribution system to streamline the supply of essential commodities.

Most of the State Governments have constituted Consumer Advisory Committees at district, tehsil, block and panchayat levels to oversee the functioning of the fair price shops.

The system has been expanded to progressively cover remote and inaccessible areas. There are at present 2.97 lakh fair price shops compared to 2.40 lakh fair shops in January, 1980.

The State Governments are enforcing the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and the provisions of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 to curb the activities of anti-social elements.

मध्य प्रदेश को खाद्य तेलों की सप्लाई

1311. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खाद्य तेलों को परिशोधित करके मध्य प्रदेश को भेजती है, यदि हां, तो मध्य प्रदेश को प्रति मास कितना-कितना खाद्य तेल भेजा जाता है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल में अपरिशोधित खाद्य तेलों के भेजे जाने के संबंध में भारत सरकार को कोई पत्र भेजा था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे पूर्व खाद्य तेलों का परिशोधन इन्दौर के रुचि ट्रेडर्स के मालिक श्री कैलाश सहारा के माध्यम से मध्य प्रदेश में किया जाता था ;

(घ) क्या तेलों को परिशोधित करने का काम रुचि ट्रेडर्स, इन्दौर से वापस ले लिया गया है ;

(ङ) क्या मैसर्स रुचि ट्रेडर्स के मालिक के खिलाफ खाद्य तेलों की कालाबाजारी और उनके परिशोधन में गड़बड़ी करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन मोहन्ती) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन तथा इनकी आपूर्ति अन्य राज्यों के साथ की जा रही है । इन तेलों में से पामोलीन और आर० बी० डी० ताड़ के तेल का आयात परिष्कृत रूप में किया जाता है और वे उसी रूप में सप्लाई किये जाते हैं । जहां तक रेपसीड तेल का सम्बन्ध है, पहले यह राज्य सरकारों को अपरिष्कृत रूप में सप्लाई किया जाता था और राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होती थी कि

वह उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के पूर्व इसे परिष्कृत करा लें । तथापि, हाल के महीनों में मध्य प्रदेश को रेपसीड तेल भी परिष्कृत रूप में सप्लाई किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश को किए गए आवंटनों और राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा हर महीने में अलग-अलग रही है । चालू तेल वर्ष के दौरान राज्य सरकार को दिये गये कुल आवंटन तथा उनके द्वारा उठायी गयी मात्रा इस प्रकार हैं:—

(मात्रा मीटरी टन में)

आयातित तेल	आवंटन (नवम्बर 80 से अगस्त, 81)	22-8-81 तक राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा
अपरिष्कृत रेपसीड तेल	7000	6981
परिष्कृत रेपसीड तेल	6500	—
पामोलीन	4300	2825
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	3500	2910
योग :	21,300	12,716

मई, 1981 में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने नागरिक पूर्ति मंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें रेपसीड तेल को अपरिष्कृत रूप में ही सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था । तथापि, जब उन्हें स्थिति स्पष्ट की गई, तब उन्होंने जुलाई, 1981 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में खोले जाने वाले राज्य व्यापार निगम के डिपुओं से टोनों में परिष्कृत रेपसीड तेल लेना स्वीकार किया ।

(ग) से (च) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Amendment in the Urban Land Ceiling Act

1372. DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the expert group set up by Government to suggest amendments in the Urban Land Ceilings Act has submitted its report;

(b) if so, whether Government have taken a decision in regard to the amendments to be made in the Act in the light of the recommendaions of the Experts Group; and

(c) if not, what are the reasons for the delay and by when Government propose to bring forward the amending legislation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proposal for amending the Act is still in process and the amending Bill will be introduced as soon as the requisite formalities are completed.

विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

1373. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की